रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2019/माघ 2, 1940
No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2019/MAGHA 2, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2019

का.आ. 367(अ).—केंद्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6क की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, खोजे गए लघु क्षेत्र नीति बोली दौर-I और खोजे गए लघु क्षेत्र नीति बोली दौर-II के अनुसार प्रदत्त संविदा से उत्पादित पेट्रोलियम, अर्थात कच्चा तेल, कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस के संबंध में दरें जिन पर रॉयल्टी देय होगी, विनिर्दिष्ट करने के लिए, उक्त अधिनियम में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात उक्त अधिनियम की अनुसूची में, -

(i) कच्चे तेल के संबंध में प्रविष्टि-I के अधीन –

(क) पैराग्राफ 2 के बाद (दिनांक 15 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 173 (अ) द्वारा यथा अन्तर्विष्ट पैराग्राफ) शब्दों और अंकों से शुरू होने वाले भाग के लिए "सीमान्त क्षेत्र नीति, 2015 के अधीन प्रदत्त संविदाओं से उत्पादन:", शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं "(3) खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015 के बोली दौर-I के अधीन प्रदत्त संविदाओं से उत्पादन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ख) पैराग्राफ (3) के बाद, ऐसी दी गई संख्या के अनुसार, निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाएगा, अर्थात-

"(4) खोजे गए लघु क्षेत्र नीति और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के बोली दौर-II के अधीन प्रदत्त संविदाओं से उत्पादन:

(क) जमीनी ब्लाकों के लिए :12.5%;

(ख) उथले समुद्री के लिए: 7.5%;

(ग) गहरे समुद्री के लिए गहरे समुद्री से कच्चे तेल के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से प्रथम सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद 5% पर देय होगी।

(घ) अत्यधिक गहरे समुद्री के लिए: अत्यधिक गहरे समुद्री से कच्चे तेल के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से प्रथम सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद 2% पर देय होगी।" ;

(ii) केसिंग हेड कंडंसेट से संबंधित प्रविष्टि 2 के अधीन,

(क) पैराग्राफ (3) में, "सीमांत क्षेत्र नीति" शब्दों के स्थान पर "खोजे गए लघु क्षेत्र नीति के बोली दौर-II" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पैराग्राफ (3) के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ अन्तर्विष्ट किया जाएगा अर्थात:-

"(4) खोजे गए लघु क्षेत्र नीति और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के बोली दौर-II के अधीन प्रदत्त संविदाओं से उत्पादन के संबंध में कच्चे तेल पर रायल्टी के सभी प्रावधान कंडंसेटों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।";

(iii) प्राकृतिक गैस के संबंध में प्रविष्टि और उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"3. प्राकृतिक गैस :

1) कूप शीर्ष पर प्राप्त प्राकृतिक गैस के मूल्य का 10%

2) खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015 के बोली दौर-I के अधीन प्रदत्त संविदाओं से प्राकृतिक गैस का उत्पादन;

(क) अभितट संविदाओं और अपतट उथले समुद्री (400 मीटर जल की गहराई तक) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य प्राकृतिक गैस के मूल्य का 10%

(ख) संविदा क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के बाद प्रथम सात वर्षों के लिए गहरे समुद्री अपतट (>400 मीटर जल की गहराई) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेताओं से प्राकृतिक गैस के मूल्य का 5% और उथले समुद्री (400 मीटर समुद्र की गहराई तक) की संविदाओं पर शेष अवधियों के दौरान यथा लागू सामान्य दरें।

3) खोजे गए लघु क्षेत्र नीति और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के बोली दौर-II के अधीन प्रदत्त संविदाओं से उत्पादन :

(क) जमीनी ब्लाकों के लिए: 10%;

(ख) उथले समुद्री के लिए : 7.5%;

(ग) गहरे समुद्री के लिए, गैस के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से प्रथम सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद 5% देय होगी।

(घ) अत्यधिक गहरे समुद्री के लिए; गैस के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से प्रथम सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद 2% देय होगा।"

[फा. सं. ओ-11019(18)/6/2018-Expl-I-PNG]

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

फुट नोट : तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की अनुसूची पहली बार दिनांक 26 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या का.आ. 219(अ) द्वारा संशोधित की गई थी और अंतिम संशोधन 15 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 173(अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2019

S.O. 367(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the said Act, to specify the rates at which royalty shall be payable in respect of petroleum, namely crude oil, condensate and natural gas produced from contract awarded in accordance with the Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy, Discovered Small Field Policy Bid Round-I and Discovered Small Field Policy Bid Round-II, namely:-
In the Schedule to the said Act,-

(i) under the entry 1 relating to Crude Oil,-

(a) after paragraph 2 (the paragraph as inserted vide notification number S.O. 173 (E), dated 15th January, 2016), for the portion beginning with the words and numbers "Production from contracts awarded under Marginal field policy, 2015:", the words, brackets and numbers "(3) Production from contracts awarded under Bid Round-I of Discovered Small Field Policy, 2015:" shall be substituted;

(b) after paragraph (3), as so numbered, the following paragraph shall be inserted, namely.-

"(4) Production from contracts awarded under Bid Round-II of Discovered Small Field Policy and Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP):

(a) for on-land blocks: 12.5 %

(b) for shallow water: 7.5 %

(c) for deep water: no royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production of crude oil from deep water and shall be payable at 5 % thereafter.

(d) for ultra deep water: no royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production of crude oil from ultra deep water and shall be payable at 2 % thereafter.";

(ii) under the entry 2 relating to Casing Head Condensate,-

(a) in paragraph (3), for the words "Marginal Field Policy", the words "Bid Round-II of Discovered Small Field Policy" shall be substituted;

(b) after paragraph (3), the following paragraph shall be inserted, namely:-

"(4) In respect of production from contracts awarded under Bid Round-II of Discovered Small Field Policy and Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) all the provisions of royalty on crude oil shall apply *mutatis mutandis* to condensates."

(iii) for entry 3 relating to Natural Gas and the entries thereunder, the following entries shall be substituted, namely;-

"3. NATURAL GAS:

(1) 10 % of the value of the natural gas obtained at well-head.

(2) Production of natural gas from contracts awarded under Bid Round-I of Discovered Small Field Policy, 2015:

(a) 10 % of the value of natural gas receivable from the buyer in respect of production from on-shore contracts and off-shore shallow water (up to 400 meters water depth) contracts;

(b) 5 % of the value of natural gas from the buyers in respect of production from deep water off-shore (>400 meters water depth) contracts for the first seven years after commercial production in the contract area and normal rates as applicable to shallow water (up to 400 meters water depth) contracts during remaining periods.

(3) Production from contracts awarded under Bid Round-II of Discovered Small Field Policy and Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP):

(a) for on-land blocks: 10 %.

(b) for shallow water: 7.5 %.

(c) for deep water: no royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production of gas and shall be payable at 5 % thereafter.

(d) for ultra deep water: no royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production of gas and shall be payable at 2 % thereafter."

[F. No. O-11019(18)/6/2018-Expl-I-PNG]

AMAR NATH, Jt. Secy.

Foot Note : The Schedule to the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) was first amended *vide* notification number S.O. 219(E), dated the 26th March, 1981 and last amended *vide* notification number S.O. 173(E), dated the 15th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.23 18:14:28 +05'30'